न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/78/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. उदेराम पिता परथू जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुरकियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मांगीलाल पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुरकियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 27.03.2026

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा तुरकिया कलां तहसील कपासन में आराजी खसरा संख्या 1417 रकबा 0.67 हैक्ट0 स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खातेदारी से दर्ज होकर कब्जे काश्त में है। उक्त आराजी के साबिक पैमायश में आ. नं. 807 व 808 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा दर्ज थे जो परथू पिता देवजी जाट निवासी तुरकिया कलां के नाम पर खातेदारी से दर्ज थी जिनका देहावसान हो गया है। वादीगण उनके वारिसान होने से आराजीयात वर्तमान में वादीगण के नाम पर दर्ज है।

यह कि उपरोक्त आराजी का साबिक नक्शें के मुकाबले में वर्तमान नक्शें में वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियो ने सही नक्शा नहीं बनाया व साबिक के मुकाबले हाल नक्शें में परिवर्तन कर दिया। जहाँ साबिक नक्शें में आ. नं. 808 की पूर्वी पाली दर्शित की हुई है उसके मुकाबले हाल नक्शें में आ. नं. 1417 को पूर्वी पाली सही दर्शित नहीं कर घुमा दी गई है। जिससे वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। एवं आराजीयात के पड़ोसियो से विवाद होने का खतरा बन गया है। इस कारण वादीगण के सांबिक नक्शें के मुकाबले हाल नक्शें में सही दुरुस्ती की जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि उपरोक्त दुरूस्ती किये जाने हेतु वादीगण ने दिनांक 18/10/2010 को प्रतिवादी संख्या दो से मौखिक निवेदन किया तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की तत्पश्चात् वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 21/10/2010 को प्रतिवादीगण को दफा 80 जा.दी. के तहत रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित कर उपरोक्त दुरुस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया परन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति के भी एवं नोटिस की अवधि गुजर जाने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण ने नक्शें में किसी प्रकार की दुरूस्ती नहीं की एवं न ही नोटिस का कोई जवाब ही दिया।

यह कि बिना मुखास्मत वाद पत्र दिनांक 18/10/2010 को पैदा हुई एवं उसके बाद निरन्तर पैदा हो रहीं है।

अतः वादीगण की प्रार्थना है –

– पक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती को डिक्री इस अमर की जारी की जावें कि वाद वर्णित कॉलम संख्या दो में वर्णित साबिक आराजी संख्या 808 की साबिक नक्शें में पूर्वी पाली को जिस तरह से दर्शित किया गया है उसकी हाल आराजी नम्बर 1417 को भी नक्शें में पूर्वी पाली को साबिक नक्शें की तरह से दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। जवाब पेरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

1. वाद की मद संख्या 1 रेकार्डेड होने तक स्वीकार है।
2. वाद की मद संख्या 2 जिस प्रकार तहरीर की गई है स्वीकार नही है। गत वि0नं0 807 व 808 के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर दर्शित खसरा नं0 808 की खड्डेनुमा आकृति को हाल ख0सं0 1417 रकबा 0.67 हैक्ट0 में उक्त रकबा की पूर्वी सीमा के अन्दर दक्षिण की तरफ खाली डिब्बा जो हाल बन्दोबस्त द्वारा दर्शाया गया ख0नं0 1417 का ही हिस्सा होना चाहिये। बन्दोबस्त द्वारा गत ख0नं0 807 व 808 शामिल नम्बर होने से इसे 1417 में सम्मिलित तो मान लिया किन्तु खड्डे को दर्शाने के लिए पृथक से ख0 नं0 नहीं डाले गये। शेष कोई परिवर्तन किया जाना अस्वीकार है।
3. वाद की मद संख्या 3 का जवाब आवश्यक नहीं है।
4. वाद की मद संख्या 4 से लगायत 9 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

विशेष निवेदन–

1. यह कि वादी का वाद में वर्णित क्षेत्रफल गत के मुकाबले पूर्वानुसार सही अंकित है।
2. यह कि गत के मुकाबले हाल ख0नं0 1417 में नक्शें में दर्शित दक्षिणी पूर्वी डिब्बे को नक्शें से हटाया जाकर उक्त भाग को ख0नं0 1417 में माना जाना उचित होगा। किन्तु वादी द्वारा ख0नं0 1418 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः पडोसी कृषक को सुना जाकर दुरूस्ती किया जाना उचित होगा।
3. भू0अभि0निरी0 की रिपोर्ट दिनांक 26.06.2016 की प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किया जाना उचित है।

उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादपत्र में कॉलम संख्या 02 में वर्णित साबिक आ0सं0 808 के साबिक नक्शें में पूर्वी पाली को जिस तरह से दर्शाया गया है उसको हाल आराजी संख्या 1417 को भी नक्शें में पूर्वी पाली को साबिक नक्शें की तरह दुरूस्ती कराये जाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

–जिम्मेवादी

2. दादरसी

साक्ष्यवादी में वादी उदयराम का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है, तथा दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–11 है। पत्रावली में तनकीवार निर्णय किया जाना है। तनकी संख्या 01 आया वादपत्र में कॉलम संख्या 02 में वर्णित साबिक आ0सं0 808 के साबिक नक्शें में पूर्वी पाली को जिस तरह से दर्शाया गया है उसको हाल आराजी संख्या 1417 को भी नक्शें में पूर्वी पाली को साबिक नक्शें की तरह दुरूस्ती कराये जाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का था। साबिक आराजी संख्या 1417 से हाल आराजी संख्या 807 व 808 बने हैं, जो कि प्रदर्श–3 के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 के अवलोकन से साबिक आराजी संख्या 808 की नक्शे में पूर्वी पाली को जिस तरह से दर्शाया गया है उससे हाल नक्शें में परिवर्तन है, जो कि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा तुरकिया कलां तहसील कपासन में आराजी खसरा संख्या 1417 रकबा 0.67 हैक्ट0 स्थित है के हाल नक्शें में साबिक नक्शे अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन